# न्यायालय– अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी, जिला करौली।

पीठासीन अधिकारी – **छवि सिंघल, आर.जे.एस.**
फौजदारी प्रकरण सं. – 1866/2019
सीआईएस नं. – 1866/2019
सीएनआर नं. – RJKR070039172019

## भाग प्रथम

A

| | |
|---|---|
| **परिवादी** | श्री प्यारेलाल पुत्र छीनाराम निवासी खटोरी कला, थाना नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा। |
| **प्रस्तुतकर्ता** | अभियोजन अधिकारी, हिण्डौनसिटी, जिला करौली |
| **अभियुक्त का नाम व पता** | रामबाबूसिंह पुत्र सम्पत, उम्र 55 साल, निवासी भोपर, थाना महवा, जिला दौसा। |
| **अधिवक्ता अभियुक्त** | श्री अमृतसिंह खटाना |

B

| | |
|---|---|
| **अपराध की दिनांक** | 29.09.2012 |
| **प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक** | 18.05.2013 |
| **आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक** | 17.12.2019 |
| **आरोप विरचित किये जाने की दिनांक** | 06.08.2021 |
| **साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक** | 01.04.2022 |
| **निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक** | 04.06.2026 |
| **निर्णय दिनांक** | 06.06.2026 |

C

| **क्र.सं.** | **अभियुक्त का नाम** | **आरोप अंतर्गत धारा** | **दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध** | **पारित दण्डादेश** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रामबाबू सिंह | 379 भादंसं. | दोषमुक्त 379 भादंसं. | – |

## भाग –द्वितीय

**अ– अभियोजन गवाहान**

| क्रम सं. | नाम | साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू.1 | कलुआराम | बयान धारा 161 दंप्रसं., नक्शामौका |
| पी.डब्ल्यू.2 | सुरेश | बयान धारा 161 दंप्रसं., नक्शामौका |
| पी.डब्ल्यू.3 | महेश | बयान धारा 161 दंप्रसं. |
| पी.डब्ल्यू.4 | रामासिंह | हालात तफ्तीश |
| पी.डब्ल्यू.5 | फतेहसिंह | बयान धारा 161 दंप्रसं. |
| पी.डब्ल्यू.5 | प्रेमनारायण | कायमी जुर्म |
| पी.डब्ल्यू.6 | हमीरसिंह | हालात तफ्तीश |
| पी.डब्ल्यू.7 | शिवकुमार भारद्वाज | किता चार्जशीट |

**ब– बचाव गवाह**

| क्रम सं. | नाम | साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह) |
|---|---|---|
| – | – | – |

**स– न्यायालय गवाह**

| क्रम सं. | नाम | साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह |
|---|---|---|
| – | – | – |

## अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

**अ– अभियोजन प्रदर्शः**

| क्रम सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी.1 | नक्शामौका घटनास्थल |
| 2 | प्रदर्श पी.2 | पुलिस बयान कलुआराम |
| 3 | प्रदर्श पी.3 | पुलिस बयान सुरेश |
| 4 | प्रदर्श पी.3 | पुलिस बयान महेशचंद |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | प्रदर्श पी.4 | पुलिस बयान फतेहसिंह |
| 6 | प्रदर्श पी.5 | तहरीरी रिपोर्ट |
| 7 | प्रदर्श पी.6 | चाक एफआईआर |

**ब– बचाव प्रदर्शः**

| क्रम सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| – | – | – |

**स– न्यायालय प्रदर्शः**

| क्रम सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| –– | | |

**द– भौतिक वस्तुएंः**

| क्रम सं. | भौतिक वस्तु नम्बर | विवरण |
|---|---|---|
| – | – | – |

**निर्णय** **दिनांकः 06.06.2026**

01– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2013 को परिवादी प्यारेलाल ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय के तथ्यों की पेश की कि प्रार्थी पिछले चार–पांच साल से हिण्डौन में तुरी सरसों की मजदूरी करता है। प्रार्थी ने दिनांक 18.09.2012 को जरिये 100/– रूपये के स्टाम्प पर 90,000/– रूपये रोकडी रामबाबूसिंह को देकर उसके फाईनेंस शुदा ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को कुल 5,90,000/– रूपये में खरीदकर स्टाम्प पर लिखा पढ़ी हिण्डौन कचहरी में कराकर, नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर ट्रक अपने कब्जे में कर लिया। प्रार्थी ने गाडी प्राप्ति के बाद उक्त ट्रक में में 1,02,000/– रूपये का मरम्मत कार्य कराकर व दो किश्तें 49,000/– रूपये जरिये रामबाबू दिनांक 20.09.2012 में जमा कराकर रसीदें प्राप्त की। प्रार्थी ने अपना ट्रक नंबरी आरजे 05 जी 4497 को सुरेश पेंटर मिस्त्री मार्केट हिण्डौन में रंग कराने खडा करके प्रार्थी अलवर चला गया। दिनांक 29.09.2012 को प्रार्थी के उक्त ट्रक को पीछे से रामबाबूसिंह गुर्जर बनियत चोरी जबरन चलाकर ले गया, उस समय ट्रक की डिग्गी में 35,000/– रूपये ताले में बंद रखे थे। प्रार्थी वापस आया तो सुरेश पेंटर व कल्लू मिस्त्री ने बताया कि तुम्हारे ट्रक को रामबाबू जबरन ले गया है। प्रार्थी ने रामबाबू को फोन किया तो उसने कहा कि ट्रक को स्पीट गवर्नर लगाने हेतु लाया हूं, मेरा ट्रक है, तुम क्या करोगे, तो प्रार्थी ने फत्ते गुर्जर, लोकेन्द्र शर्मा व मार्केट के आदमियों को कहा कि उनके कहने पर रामबाबू ने कहा कि 10–

20 दिन में ट्रक वापस करा दूंगा, तभी से प्रार्थी रामबाबू के चक्कर लगा रहा है तथा रामबाबू प्रार्थी को टालमटोल करता रहा है। गाडी के असल कागजात प्रार्थी के पास है.....आदि।

02– उक्त आशय की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हिण्डौनसिटी पर एफआईआर नं 363/13 अंतर्गत धारा 379 में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 379 भादसं. में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराधों के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 379 भादसं. के आरोप पृथक से विरचित किये जाकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04– अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पृष्ठ संख्या 02 में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा पृष्ठ संख्या 02 व 03 में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।

05– साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को दंप्रसं. की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है और साक्ष्य प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

06– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह निवेदन रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान ने तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

07– उक्त बहस के विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से जिन गवाहान को परीक्षित कराया गया है, उनमें अधिकांश गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अन्य गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है, जिनकी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः मुलजिम को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भादंसं. में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

08– बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

**1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.09.2012 को किसी समय स्थान मिस्त्री मार्केट में सुरेश पेन्टर की दुकान से परिवादी प्यारेलाल का ट्रक नंबरी आरजे 05 जी 4497 को बिना उसकी सम्मति क बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया ?**

**2. यदि हां, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?**

09– बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से **कुल 08 गवाहान** को परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह **पी.ड.01 कलुआराम** न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 8–9 साल पहले 10–11 बजे सुरेश पेन्टर की दुकान पर हल्ला हो रहा था, किनके बीच हो रहा था, वह नहीं जानता। नक्शामौका प्रदर्श पी.01 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने **जिरह अभियोजन** में इस सुझाव से इनकार किया है कि आठ साल पहले प्यारेलाल यादव ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को सुरेश पेन्टर की दुकान पर पेन्ट हेतु खडा करके गया हो और उक्त ट्रक को रामबाबू जबरदस्ती से चलाकर ले गया हो।

गवाह **पीड. 02 सुरेश** ने भी न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 8–9 साल पहले 10–11 बजे सुरेश पेन्टर की दुकान पर हल्ला हो रहा था, किनके बीच हो रहा था, वह नहीं जानता। नक्शामौका प्रदर्श पी.01 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने **जिरह अभियोजन** में इस सुझाव से इनकार किया है कि आठ साल पहले प्यारेलाल यादव ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को सुरेश पेन्टर की दुकान पर पेन्ट हेतु खडा करके गया हो और उक्त ट्रक को रामबाबू जबरदस्ती से चलाकर ले गया हो।

गवाह **पीड. 03 महेश** ने न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 12 साल पहले फत्ते गुर्जर अपने साथ प्यारेलाल व रामबाबू को लेकर उसकी दुकान पर आया था, जिनके बीच क्या एग्रीमेंट हुआ और क्या लिखापढ़ी हुई, उसे पता नहीं। उक्त गवाह ने **जिरह अभियोजन** में इस सुझाव से इनकार किया है कि रामबाबू ने ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को प्यारेलाल यादव को बेचा हो और जिसकी लिखापढ़ी पचास रूपये के स्टाम्प पर उसके सामने हुई हो तथा प्यारसिंह द्वारा प्यारेलाल यादव को बेचे गए ट्रक को रामबाबू मिस्त्री मार्केट से चोरी कर ले गया हो।

गवाह **पीड.04 रामासिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.05.2013 को थाना कोतवाली हिण्डौनसिटी पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसे थाना हाजा के अभियोग संख्या 363/2013 अंतर्गत धारा 379 भादसं. का अनुसंधान

डी.ओ. श्री प्रेमनारायण एएसआई ने उसके जुम्मे किया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी, सी से डी मौतवीरान, ई से एफ प्रार्थी व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लिए जाकर शामिल पत्रावली किए। गवाह सुरेश के पुलिस बयान प्रदर्श पी 03, गवाह कलवा के पुलिस बयान प्रदर्श पी 02, गवाह महेश के पुलिस बयान प्रदर्श पी 03 जैसा गवाह ने कहा उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए। इसी दौरान उसका स्थानान्तरण हो जाने पत्रावली एसएचओ साहब को अग्रिम अनुसंधान हेतु सुपुर्द की। उक्त गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में जाहिर किया है कि फरियादी ने दर्ज रिपोर्ट में घटना के चश्मदीद गवाह सुरेश पेंटर व कल्लू मिस्त्री का होना अंकित किया है।

गवाह **पीड.05 फतेहसिंह** ने न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही रहते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 12 साल पहले प्यारेलाल ने रामबाबू से 5,90,000/– रूपये में गाडी ट्रक खरीदा था, जिसकी लिखापढ़ी उसके व महेश जैन के सामने हुई थी, उसके बाद गाडी प्यारेलाल को सौंप दी, उसके बाद ट्रक का क्या हुआ, उसे पता नहीं। उक्त गवाह ने **जिरह अभियोजन** में इस सुझाव से इनकार किया है कि सुरेश पेंटर की दुकान से रामबाबू, प्यारेलाल के ट्रक को चोरी कर ले गया हो।

गवाह **पीड. 05 प्रेमनारायण** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.05.2013 को थाना कोतवाली हिण्डौनसिटी पर एएसआई/डी.ओ. ड्यूटी पर तैनात था। उस दिन प्यारेलाल पुत्र दीनाराम निवासी खटोरी कला जिला महेन्द्रगढ एक टाईपशुदा रिपोर्ट के थाना हाजा पर उपस्थित आया। रिपोर्ट उसके समक्ष पेश की जो प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसका कार्यवाही पुलिस पृष्ठांकन व सी से डी उसके व ई से एफ प्रार्थी प्यारेलाल के हस्ताक्षर हैं। जिस पर अभियोग संख्या 363/2013 अंतर्गत धारा 379 भादसं. में दर्ज कर चाक एफआईआर जारी की, जो प्रदर्श पी 06 है। जिस पर ए से बी उसके व सी से डी प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। एफआईआर का अनुंसधान रामासिंह एएअसाई के जुम्मे किया।

गवाह **पीड. 06 हमीरसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह वर्ष 2015 में थाना हिण्डौन सिटी पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था, थाना हाजा के अभियोग संख्या 363/2013 की पत्रावली वास्ते अनुसंधन हेतु उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान माल मुलजिम की पतारसी जारी रखी, इसी दौरान उसका स्थानांतरण हो जाने के कारण पत्रावली वास्ते अनुसंधन एसएचओ साहब को सुपुर्द की।

गवाह **पीड. 07 शिवकुमार भारद्वाज** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.12.2016 को थाना हिण्डौन सिटी पर थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था, उस दिन मु.नं. 363/2013 की अनुसंधान पत्रावली आईओ श्री छुट्टनलाल एएसआई ने आरोपी रामबाबू के विरूद्ध धारा 299 सीआरपीसी में वारंट प्राप्त कर उक्त आरोपी के विरूद्ध धारा 379 भादंसं. का अपराध प्रमाणित मानकर उसके समक्ष पेश की, जिसमें बाद समीक्षा उक्त धारा में उक्त आरोपी के

विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया, आरोप पत्र पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है

10– उपरोक्त विषय में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण परिवादी प्यारेलाल के द्वारा जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 संस्थित कराई गई है, उसमें उसने दिनांक 18.09.2012 को जरिये 100/– रूपये के स्टाम्प पर 90,000/– रूपये रोकडी रामबाबूसिंह को देकर उसके फाईनेंस शुदा ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को कुल 5,90,000/– रूपये में खरीदने एवं गाडी प्राप्ति के बाद उक्त ट्रक में 1,02,000/– रूपये का मरम्मत कार्य कराकर व दो किश्तें 49,000/– रूपये जरिये रामबाबू दिनांक 20.09.2012 में जमा कराने का तथ्य अंकित किया है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी अपना ट्रक नंबरी आरजे 05 जी 4497 को सुरेश पेंटर मिस्त्री मार्केट हिण्डौन में रंग कराने खडा करके प्रार्थी अलवर चला गया। दिनांक 29.09.2012 को प्रार्थी के उक्त ट्रक को पीछे से रामबाबूसिंह गुर्जर बनियत चोरी जबरन चलाकर ले गया। प्रार्थी वापस आया तो सुरेश पेंटर व कल्लू मिस्त्री ने बताया कि तुम्हारे ट्रक को रामबाबू जबरन ले गया है।

11– उपरोक्त संबंध में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि परिवादी की मृत्यु होने से अभियोजन पक्ष द्वारा परिवादी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है, परन्तु परिवादी द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी ने रामबाबू सिंह द्वारा ट्रक ले जाने वाली बात **सुरेश पेन्टर व कल्लू मिस्त्री** द्वारा बताये जाने का तथ्य अंकित किया है, जिससे उक्त दोनों गवाह प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रतीत होते हैं। ऐसे में उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त दोनों ही गवाहान न्यायालय के समक्ष **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में स्पष्ट रूप से इस सुझाव से इनकार किया गया है कि आठ साल पहले प्यारेलाल यादव ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को सुरेश पेन्टर की दुकान पर पेन्ट हेतु खडा करके गया हो और उक्त ट्रक को रामबाबू जबरदस्ती से चलाकर ले गया हो। ऐसे में उक्त दोनों गवाहान ने अपने बयानों में इस तथ्य की कोई पुष्टि नहीं की है कि ट्रक नं. आरजे 05 जी 4497 को सुरेश पेन्टर की दुकान से रामबाबू सिंह चुराकर ले गया हो। प्रकरण के अन्य गवाह महेश पीड.03 एवं फतेहसिंह पीड. 05 भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के आधित्पय एवं कब्जे से किसी प्रकार के वाहन/ट्रक की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा जब्ती के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गवाह पीड. 04 रामासिंह प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी साक्ष्य में मात्र प्रकरण में अनुसंधान किये जाने बाबत साक्ष्य दी है। गवाह पीड. 05 प्रेमनारायण, पीड. 06 हमीरसिंह व पीड. 07 शिवकुमार भारद्वाज हैं, जिनकी साक्ष्य प्रकरण में मात्र औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य है, जिससे भी अभियुक्त की आरोपित अपराध में संलिप्तता प्रमाणित नहीं होती है।

12– इस तरह सम्पूर्ण विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.09.2012 को किसी समय व स्थान मिस्त्री मार्केट में सुरेश पेन्टर की दुकान से परिवादी प्यारेलाल का ट्रक नंबरी आरजे 05 जी 4497 को बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी का अपराध कारित किया हो। लिहाजा उक्त प्रकरण में मुलजिम की दोषसिद्धि बाबत पत्रावली पर पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं, तद्नुसार मुलजिम को उक्त प्रकरण में आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भादंसं. के आरोप में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

13– परिणामस्वरूप अभियुक्त रामबाबूसिंह पुत्र सम्पत, उम्र 55 साल, निवासी भोपर, थाना महवा, जिला दौसा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भादंसं. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14– मुलजिम द्वारा पूर्व में पेश किए गए नियमित पेशी बाबत जमानत व मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा मुलजिम को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत धारा 437 ए जा.फौ. के प्रावधानों के मुताबिक 10,000/– रूपए की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे।

**(छवि सिंघल)**
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हिण्डौनसिटी जिला करौली

15– निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(छवि सिंघल)**
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हिण्डौनसिटी जिला करौली